न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —01/2026 (अपील)

GCMS No.- 2026/3

1. शिल्पा खुशलानी पत्नी श्री कुलदीप पुत्री श्री गुरूचरण खुशलानी निवासी म0नं0 बी 26 न्यू जवाहर नगर कोटा राज0

—अपीलान्ट.

बनाम

1. गुरूचरण खुशलानी पुत्र गेलाराम जी निवासी म0नं0 3/28 आहूजा भवन न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा
2. कोमल खुशलानी पत्नी गुरूचरण खुशलानी निवासी म0नं0 3/28 आहूजा भवन न्यू कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 31.12.2025 मि0नं0 48/2023 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश सिंह चौहान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मनोज तिवारी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1. व 2
3. श्री संजीव जैन, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 3 4

निर्णय

दिनांक—18.02.2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5, व 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के पेश किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 31.12.2025 को आदेश पारित किया है कि—" उपरोक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया पुत्री के पक्ष में निष्पादित की गई दान पत्र दिनांक 6.12.2024 के बाद अप्रार्थीया द्वज्ञरा वरिष्ठ नागरिक माता पिता से लडाई झगडा करना एवं उक्त मक़ान में नहीं जाने देने से उक्त दान पत्र को शून्य घोषित कराने हेतु प्रस्तुत की गयी प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है एवं दिनांक 6.12.2024 के बाद अप्रार्थीया द्वारा वरिष्ठ नागरिक माता पिता से लडाई झगडा करना एवं उक्त मकान में नहीं जाने देने से उक्त दान पत्र को शून्य घोषित कराने हेतु प्रस्तुत की गयी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 6.12.2024 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीया शिल्पा खुशलानी के पक्ष में निष्पादित दान पत्र सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 23 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत शून्य घोषित किया जाता है । निर्णय की प्रति उप पंजीयक द्वितीय कोटा एवं कोटा विकास प्राधिकरण को भिजवाई जावें ।चूंकि अप्रार्थीया स्वयं के पास आय के पर्याप्त साधन नहीं है जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा भरण पोषण हेतु चाही गई सहायता दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । चूंकि अप्रार्थीया स्वयं अपने पति से पृथक रह रही है, अतः उसे हस्तगत मकान में एक कमरे में रहने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि वह किराये के रूप में 1500/— प्रार्थीगण को प्रदान करेगी ।"
2. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 31.12.2025 की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.01.2026 को पेश की गई है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 की

ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन, आशीष जैन का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।

3. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपनी अन्य दो पुत्रयों दीपिका एवं मिनल जो जीवित है को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाये जाने से यह प्रार्थना पत्र नोन जोईन्डर ऑफ पार्टीज के सिद्वान्त पर तथा प्रार्थना पत्र अधिनियम के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए खारिज होने योग्य है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी कतई गौर नहीं किया कि वादग्रस्त मकान को क्रय किये जाने, उसके आवंटन आदि के समस्त कार्य अपीलांट के आर्थिक सहयोग से ही पूर्ण किये गये थे तथा दीपिका खुशलानी उपरोक्त सम्पत्ति में या किसी भी रूप में उनके साथ निवास नहीं करती थी बल्कि वह गुमानपुरा बल्लभबाडी में पृथक रूप से ससुराल में पति के साथ निवास कर रही थी और उसके पश्चात पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने के बाद उसके किस स्थान पर जाने की जानकारी अपीलांट को नहीं है और वर्तमान में भी अपीलांट का उससे कोई सम्पर्क नहीं है परन्तु उसके द्वज्ञरा कभी भी अपने माता पिता की दावा या भरण पोषण या बीमारी में किसी ईलाज या सहयोग का कोई कार्य नहीं बल्कि उपरोक्त सभी कार्य अपीलांट द्वारा अपनी सभी जमा पूंजी और जो उसके पास थोडी सी ज्वैलरी आदि थी उसके माध्यम से उसने किया है जो अब पूरी तरह से समाप्त हो जाने के कारण यह बनावटी रूप से कार्यवाही की गयी है । अपीलांट उपरोक्त मकान में निवास करती थी और उसके द्वज्ञरा ही उपरोक्त मकान को तैयार करवाया जा रहा था जो अभी भी अधूरा है तथा इन्हीं सब परिस्थितियों में वह इसके साथ साथ रेस्पो0 का ईलाज आदि भी करवा रही थी परन्तु अब उसके पास रकम आदि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है तथा प्रार्थना पत्र में जो कथन गिफ्ट लिखे जाने के संबंध में किये गये है वह पूरी तरह से असत्य है ।

4. वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 6.12.2024 को मकान नं0 बी–26 न्यू जवाहर नगर, कोटा को अपीलांट के पक्ष में उक्त सम्पत्ति के संबंध में शर्त हीन दान पत्र निष्पादित किया गया है परन्तु उपरोक्त दानपत्र को किये जाने के पश्चात इस दान पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार के कोई शर्त की पालना अथवा भरण पोषण का अधिकार रेस्पो0 को प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत क्षेत्राधिकार एवं परिसीमा से बाधित आदेश पारित किया है । रेस्पो0 द्वारा ऐसी कोई मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे अपीलांट का क्रूरतापूर्ण कृत्य प्रकट होता हो । अपीलांट आज भी अपने माता पिता के साथ पूर्ण रूप से अच्छा व्यवहार और स्वभाव रखना चाहती है परन्तु वास्तविकता यह है कि रेस्पो0 द्वारा उस पर बार बार अत्यधिक रकम का दबाव बनाते है और अब अपीलांट के पास किसी प्रकार की कोई रकम शेष नहीं रह गयी है । रेस्पोडेन्ट का अपीलांट द्वारा स्वयं समस्त ईलाज आदि सारे कार्य करवाये जा रहे थे परन्तु उसकी दोनों बहनों दीपिका व मिनल द्वज्ञरा रेस्पो0 का जीवन दुभर कर दिया गया ओर उस पर भी रेस्पोडेन्ट अब वापस इस सम्पत्ति को हडप करना चाहते है और वास्तविक रूप में दोनों बहने जो अपीलांट के साथ लगातार मारपीट करती है और यहां तक की अपीलांट की अवयस्क 10 वर्षीय पुत्री को अत्यधिक बेरहमी से मारपीट की गई तथा उक्त मकान पर जबरन कब्जा करने उनके सामान छिनने आदि के सभी प्रयासों की विफलता के उपरांत रेस्पोडेन्ट को बहकाकर षडयंत्रपूर्वक यह कार्यवाही करवायी है जो निरस्तनीय है ।

5. वकील अपीलान्ट ने तथ्य प्रकट किये है कि अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट द्वारा जिरिये दानपत्रदिनांक 6.12.2024से भूखण्ड संख्या बी–26 पैमाईश 25 गुणा 50 कुल 1250 वर्गफीट पर निर्मित अपूर्ण, जर्जर एवं स्केलटन अवस्था में दिया गया था इस मकान को ध्वस्त करवाकर अपीलार्थी द्वारा निमार्ण हेतु कर्ज लिया एवं स्वयं की जैवलरी एवं राशि लगभग 45,00,000/– पैतांलिस लाख रूपये का निवेश किया है तथा उसने इस मकान के निमार्ण के दौरान प्लॉट नं0 6 टीचर्स कॉलोनी गुमानपुरा कोटा को दिनांक 28.6.2024 को श्री जगदीश चंद खदानी से स्वयं के एवं रेस्पोडेन्ट के निवास हेतु 15,000/– मासिक की दर से किराये पर लिया था । जिसमें प्रतिपक्षीगण द्वारा भी अपीलार्थी के साथ निवास किया गया है । तत्पश्चात 6 माह बाद दिनांक 8.12.2024

को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दानपत्र का पंजीयन उप पंजीयक कोटा प्रथम के यहां किया गया । इस दानपत्र के निष्पादन एवं पंजीयन के समय रेस्पोडेंन्ट द्वारा अपीलार्थी पर किसी भी प्रकार की शर्त अधिरोपित नहीं की गई थी । अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट की बीमारी के समुचित उपचार एवं सार संभाल हेतु लगभग 2,00,000/– का व्यय किया गया है । इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य अपीलार्थी के पावर पजेशन में नहीं होने के कारण वह अधीनस्थ अधिकरण में प्रस्तुत नहीं कर सकी थी । इस कारण अपीलार्थी किरायेनामा दिनांक 28.6.2024 एवं रेस्पोडेन्ट के उपचार के बिल, रसीदें एवं मकान के निमार्ण में हुये व्यय संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जा रहे है जो इस अपील के समुचित निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज है । दानपत्र दिनांक 6.12.2024 के निष्पादन शर्त विहीन होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट पूरी तरह से सार संभाल एवं सेवा की है लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बडी पुत्री दिपीका खुशलानी एवं मीनल खुशलानी के बहकावें में आकर मिथ्या एवं बनावटी तथ्यों पर अधीनस्थ अधिकरण में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित दान पत्र दिनांक 6.12.2024 को निरस्त करने का एकमात्र क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा दान पत्र के निष्पादन के समय रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के विरूद्व किसी प्रकार की शर्त अधिरोपित नहीं की थी इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित आदेश विधि विरूद्व होने से उक्त आक्षेपित आदेश जैर अपील निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.12.2025 को अपास्त किये जावें तथा अपीलांट को म0नं0 बी 26 न्यू जवाहर नगर कोटा के उपयोग उपभोग में रेस्पो0 बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा उक्त मकान से अपीलांट को बेदखल नहीं करें एवं उक्त दान पत्र दिनांक 6.12.2024 का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही को भी स्थगित किया जावें । वकील अपीलांट ने माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक निर्णय sudesh chhikara V/s Ramti devi on 6 December, 2022 एवं उच्च न्यायालय का निर्णय 2023(1)CJ(Civ.)(Raj) Pokar Ram V/s Maintanance Tribunal Cum SDM Jodhpur निर्णय दिनांक 23 फरवरी 2023 प्रस्तुत किये है । तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक निर्णय उर्मिला दीक्षित बनाम सूनिल शरन दीक्षित 2025(1)CJ(Civ)(SC) प्रस्तुत की है ।

6. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है प्रार्थीगण का एक मकान भूखण्ड संख्या बी–26 आवंटित शुदा, आवंटन पत्र क्रमांक 804 दिनांक 12.2.2013 को नगर विकास न्यास कोटा द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी किया गया था । जिसका पंजीयन दिनांक 30.3.2013 को हो रहा है । प्रार्थीगण की पुत्री प्रतिपक्षी तथा दूसरी पुत्री दीपिका खुशलानी प्रार्थीगण के साथ ही मकान में निवास करती थी तथा प्रार्थीगण के भरण पोश्झण व बीमारी में दवा वगैरा की व्यवस्था दोनों पुत्रियां करती थी । प्रार्थीगण की दूसरी पुत्री का तलाक हो चुका था । इस कारण प्रतिपक्षी ने प्रार्थीगण से कहा कि वह आजीवन देखभाल, बीमारी में इलाज व खाने पीने की व्यवस्था करेगी और यह कथन करके प्रतिपक्षी ने प्रार्थीगण से अपने उक्त मकान को उसके नाम गिफ्ट करने का दबाव बनाया । प्रतिपक्षी प्रार्थीगण की देखरेख व सारी व्यवस्था करती थी, इस कारण प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने इसी आशा में कि प्रतिपक्षी भविष्य में भी उनकी सेवा, देखभाल व भरण पोष्झण की व्यवस्था करेगी तथा प्रतिपक्षी के बार बार कहने के आधार पर प्रार्थीगण ने अपने मकान नम्बर बी–26 न्यू जवाहर नगर कोटा का दान पत्र दिनांक 6.12.2024 को प्रतिपक्षी के नाम कर उसका पंजियन प्रतिपक्षी केनाम कर दिया । दान पत्र के पश्चात धीरे धीरे प्रतिपक्षी का व्यवहार बदलने लगा । प्रतिपक्षी ने यह कहकर कि मकान में कुछ निमार्ण करना है, इस कारण प्रार्थीगण को प्रतिपक्षी के किराये वाले मकान मे भेज दिया और स्वयं भी किराये वाले मकान में रहने लग गई । 4–5 माह बाद जब मकान का निमार्ण हो गया तो प्रतिपक्षी तो प्रार्थीगण के मकान नम्बर बी–26 न्यू जवाहर नगर कोटा जिला कोटा में वापस आ गई और प्रार्थीगण से कह दिया कि अब उनका मकान मे कोई अधिकार नहीं है, वह स्वयं अपने रहने का खाने का, बीमारी में दवा वगै0 की व्यवस्था खुद करें । प्रतिपक्षी का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है । इस कारण मजबूरी में प्रार्थीगण प्रतिपक्षी ने जो मकान किराये पर लिया था उसमें रहने लगे किन्तु मकान मालिक ने किराया न देने पर मकान खाली करवा लिया इस कारण अब

प्रार्थीगण की अवस्था देखकर छोटी बेटी मीनल खुशलानी के पास मकान नम्बर 3/28 आहूजा भवन न्यू कॉलोनी गुमानपुरा कोटा में रह रहे है । प्रार्थीगण के बुढापे का सहारा एक मात्र उक्त मकान ही था जिसे प्रतिपक्षी ने अपने नाम करवा लिया और प्रार्थीगण को छोड दिया , यहां तक कि मकान में घुसने भी नहीं देती है । लड़ाई झगडा करती है । इन्ही परिस्थितियों के कारण प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5, 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के आधार पर गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उपहार पत्र दिनांक 6.12.2024 को शून्य घोषित करने का आदेश प्रदान किया है जो उचित है । साथ ही एक कमरा अप्रार्थीया अपीलांट के रहने के लिये देने के आदेश किये है, किन्तु अप्रार्थीया अपीलांट रेस्पोडेन्ट के साथ लड़ाई झगडा करती है, इस हेतु अपीलांट की अपील खारिज करते हुए उक्त वर्णित मकान से प्रार्थीया को बेदख़ली के आदेश प्रदान किया जावें ।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 31.12.2025 से रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के पक्ष में मकान नम्बर 3/28 आहूजा भवन न्यू कॉलोनी गुमानपुरा का उपहार पत्र दिनांक 6.12.2024 को अप्रार्थीया अपीलांट के पक्ष में निष्पादित किया गया था को प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए शून्य घोषित किया गया है के विरूद्व अपील दिनांक 5.1.2026 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है ।

8. वकील अपीलांट का प्रस्तुत अपील में तर्क है कि अप्रार्थीया अपीलांट का पति से तलाक होने से वह उक्त वर्णित मकान में निवास करती है तथा उक्त मकान को क्रय किये जाने, उसके आवंटन आदि अपीलांट के आर्थिक सहयोग से ही पूर्ण किये गये थे तथा उक्त मकान अपूर्ण था जिसका निमार्ण कार्य अपीलांट ने ही करवाया है, इसी आधार पर रेस्पोडेन्ट ने उक्त मकान अपीलांट को खुश होकर दिनांक 6.12.2024 को दान पत्र लिखा गया था, दानपत्र दिनांक 6.12.2024 को गी गयी दान पत्र को इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार के माध्यम से किसी भी रूप में जो सम्पत्ति वर्तमान में अपीलांट के नाम रजिस्टर्ड दस्तावेज से हुई है उसे निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त किया गया, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने की प्रार्थना इस अपील में की गई है । रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि अप्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को धोखा देकर भरण पोषण व बीमारी में इलाज की पूरी सुविधा देने का आश्वासन देकर प्रार्थीगण के मकान का दान पत्र दिनांक 6.12.2024 को अपने नाम करवा लिया । किन्तु अब प्रार्थीगण रेस्पेडेन्ट को छोड दिया, यहां तक कि मकान में घुसने भी नहीं देती है और लडाई झगडा करती है । इन्ही तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दान पत्र को शून्य घोषित किया है । प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में एक कमरा अप्रार्थी अपीलांट को देने का आदेश किया है उसे भी निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थीया अपीलांट को उक्त वर्णित मकान से बेदखल किया जावें । वकील अपीलांट ने sudesh chhikara V/s Ramti devi on 6 December, 2022 एवं उच्च न्यायालय का निर्णय 2023(1)CJ(Civ.)(Raj) Pokar Ram V/s Maintanance Tribunal Cum SDM Jodhpur निर्णय दिनांक 23 फरवरी 2023 प्रस्तुत किये है । तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक निर्णय उर्मिला दीक्षित बनाम सूनिल शरन दीक्षित 2025(1)CJ(Civ)(SC) रेफरेंस देते हुए कथन किया है कि वर्णित उपहार पत्र में उपहारकर्ता की आधार भूत सुविधाओं व भरण पोषण करने आदि कोई शर्त नहीं होने से धारा 23 के तहत उपहार पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है । इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट ने कर्नाटका उच्च न्यायालय का न्यायिक निर्णय **रिट पीटीशन नं0 202832 /2019 श्रीमति शोभा बनाम डॉ. अनिल पी. कुमार में निर्णय दिनांक 29 जुलाई 2024 प्रस्तुत की है जिसमें कर्नाटका उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पुत्र पर अपनी वृद्व माता की देखभाल करने का दायित्व होता है, भले ही दान विलेख में ऐसा कोई दायित्व निहित नहीं हो** । रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय से हम सहमत है तथा इस प्रकरण पर पूर्णरूप से चस्पा होता है ।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार वर्णित मकान नं0 3/28 आहूजा भवन न्यू कॉलोनी गुमानपुरा का उपहार पत्र दिनांक 6.12.2024 प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने इस आशा के साथ अप्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित करवाया था कि अप्रार्थीया अपीलांट उनकी देखभाल करेगी, भरण पोषण करेगी, परन्तु अप्रार्थीया अपीलांट ने ऐसा नहीं कर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का देखभाल करना बन्द करने, भरण पोषण नहीं करने एवं लडाई झगड़ा करने से धारा 5, 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्णित उपहार पत्र दिनांक 6.12.2024 को अपने निर्णय दिनांक 31.12.2025 को शून्य घोषित कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय धारा 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही है, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 23 के अन्तर्गत उपहार पत्र को शून्य घोषित करने का प्रावधान दिया हुआ है । संपत्ति वृद्वावस्था में स्नेह, विश्वास एवं अपेक्षित देखभाल के आशय से ऐसी गिफ्ट डीड निशुल्क दी गई ऐसी परिस्थितियों में यह एक स्वाभाविक निष्कर्ष है कि उक्त संपत्ति भविष्य में अपेक्षित देखभाल, भरण पोषण व मूल भूत शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा में दी गई थी किन्तु इस प्रकरण में पिता–पुत्री के मध्य स्नेह व प्रेम समाप्त होने से रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के पक्ष में किया गया उपहार पत्र निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र है, वैसे भी यह अधिनियम माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ बनाया गया है यदि वरिष्ठ जन द्वारा किसी नातेदार के पक्ष में कोई उपहार पत्र निष्पादित कराया जाता है तो उपहार पत्र में किसी शर्त का होना आवश्यक नहीं है, प्रेम व स्नेह समाप्त होने परमाता पिता एवं वरिष्ठजन अपने पुत्री, पुत्री के पक्ष में निष्पादित उपहार पत्र को निरस्त करा सकतें है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ही होने से अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाने से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

10. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.12.2025 में कोई हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा